



(138)

(1)

रा.प्र.क. / अपील / 2015

प्रस्तुति दिनांक ०६/११/२०१५

### न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर केम्प, इन्दौर

निः 13802-PBR-15

1. कमलेन्द्रसिंह पिता राजकुमार राणावत,
2. श्रीमती निर्मलाबाई बेवा राजकुमार राणावत,  
दोनों निवासी – ग्राम भीकनगांव तहसील भीकनगांव  
जिला खरगोन (म.प्र.)

विरुद्ध

काधिलिय आयुक्त सचिव द्वारा संभाग इन्दौर  
श्री अचिर पाराशर  
प्राप्ती/अभिभाषक द्वारा दिनांक ०६-११-२०१५  
को प्रस्तुत।

श्रीमती कमलाबाई बेवा धन्नालाल धोबी 1611/06-11-2015  
निवासी – ग्राम भीकनगांव तहसील भीकनगांव  
जिला खरगोन (म.प्र.)

sh  
अधीक्षक  
आयुक्त कार्यालय

प्रतिश्वासी

### पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

अपीलार्थीगण द्वारा विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त इन्दौर संभाग इन्दौर द्वारा रा.प्र.क. 20/अपील/2014-15 में दिनांक 11.09.2015 को पारित आदेश से असंतुष्ट एवं व्यथित होकर यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है :-

लाल

(2)

R-3802-PBR/15 (गुरुवार)

19-9-18

B.M. abs  
DD

आवेदक पक्ष शूचन उपर्यांत अनुपालित  
आवेदक (क्रान्तिकारी) की विजय गोद्धि उपर्यांत  
आवेदक पक्ष की तीन छार शुकारलगाई  
गई, प्रत्यन्त आवेदक पक्ष की ओर से  
कोई उपायित नहीं हुआ। युकरण आवेदक  
पक्ष की अनुपालित में अदम पैरवी में  
स्वारिज किया जाता है।

श्री  
राम

अपना  
आवेदक

24/08/18.  
Next:- 19/09/18

Vinay Handhi  
Vinay Handhi

[कृ. प. उ.]